संख्या-116/2017/1302/69-1-17-21(सा)/99

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 2017

विषय- **विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, सूडा के पत्र संख्या-1914/10/छ:/ई-टेण्डरिंग/निर्माण/2017-18, दिनांक 22.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आई0टी0 एण्ड इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1107/78-2-2017-42आई0टी0/2017, दिनांक 12 मई, 2017 एवं पत्र संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017, दिनांक 12 मई, 2017 द्वारा पारदर्शी व स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन0आई0सी0 के ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्लेट फार्म **एचटीटीपी://इटेण्डर.यूपी.एनआईसी.इन** का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (रनिंग कान्ट्रेक्ट) एवं दर अनुबन्ध (रेट कान्ट्रेक्ट) हेतु ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-707/69-1-2000-21(सा)/99, दिनांक 19 फरवरी, 2000 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया लागू किये जाने हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के उपर्युक्त शासनादेशों में निहित व्यवस्था/निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-116/2017/1302(1)/69-1-17-21(सा)/99, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक ।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in